अध्याय–23

प्रस्ताव और अल्पकालिक चर्चा

प्रस्ताव

परिभाषा और वर्गीकरण

प्रस्ताव सदस्य द्वारा सदन को दिया गया सुझाव है कि सभा कुछ कार्यवाही करे अथवा किसी कार्यवाही को किये जाने का आदेश दे अथवा किसी मामले के संबंध में मत व्यक्त करे। प्रस्ताव इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि, यदि स्वीकृति हो तो, इससे सदन के निर्णय अथवा इच्छा व्यक्त करने का आभास हो।[1] ऐसा मामला, जिसके लिये सभा का निर्णय अपेक्षित हो, उसका निर्णय सभापति सदस्य द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर प्रश्न पूछ कर करता है और 'हां' अथवा 'ना' में, जैसा भी मामला हो नियोजित करता है।[2] प्रस्ताव को उपस्थित करने के लिए सदस्य के खड़े होने और सभापीठ द्वारा सदन के निर्णय को सुनिश्चित करने के बीच की कार्यवाहियों से वाद–विवाद बनता है। इस प्रकार सभा का निर्णय प्राप्त करने में अनिवार्य अवस्थाएं ये हैं: प्रस्ताव उपस्थित करना, सभापीठ द्वारा प्रश्न का प्रस्ताव, प्रश्न पूछना और सभापीठ द्वारा सदस्यों की राय एकत्र करना।[3] ये अवस्थाएं एक दूसरे से संबद्ध हैं और इसलिए प्रस्ताव इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि इससे सभा के निर्णय की अभिव्यक्ति हो।

प्रस्तावों को सुविधाजनक रूप से महत्त्वपूर्ण अथवा गौण प्रस्तावों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रस्ताव उस विषय के संबंध में एक स्वत: पूर्ण प्रस्ताव है जिसे प्रस्तावक प्रस्तुत करना चाहता है। गौण प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव से संबंधित होता है और इसका प्रयोग सभा को इसे अत्यधिक उपयुक्त रूप से निपटाने के लिए सक्षम बनाना है।[4] उपसभापति के चुनाव के प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और जहां पर अनुपस्थिति की अनुमति नहीं दी गई है वहां सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित करने का प्रस्ताव[5], राज्य सभा में उपस्थित किए गए महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों के उदाहरण हैं।

उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के आचरण के संबंध में चर्चा केवल उचित ढंग से रखे गए महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पर ही हो सकती है।[6] संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए और उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए संसद् के प्रत्येक सदन द्वारा राष्ट्रपति के नाम प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया की व्यवस्था है।[7] इसी प्रकार, संकल्पों द्वारा उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के उपसभापति को हटाने के लिये संविधान में व्यवस्था की गई है।[8] उपसभापति के चुनाव और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को छोड़कर किसी भी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।[9]

यदि नपे–तुले शब्दों में कहा जाए तो ये प्रस्ताव ''कि नीति अथवा स्थिति अथवा वक्तव्य अथवा किसी अन्य मामले पर विचार किया जाए'', महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इन्हें आमतौर पर सदन के मतदान

के लिए नहीं रखा जाता है क्योंकि किसी विषय पर सदन से उसका निर्णय अभिलिखित करने के बारे में पूछे बिना इन्हें चर्चा का एक माध्यम ही समझा जाता है। तथापि, ऐसे संशोधनों को, जिनमें मूल प्रस्ताव के अंत में शब्द जोड़ने की मांग की गई हो, प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

उपर्युक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त, गैर-सरकारी सदस्यों अथवा सरकार की ओर से भी प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि प्रस्तावक गैर-सरकारी सदस्य है अथवा मंत्री है। पुनः कोई प्रस्ताव सांविधिक अथवा सामान्य प्रस्ताव (अर्थात्, गैर-सांविधिक) हो सकता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या ऐसा प्रस्ताव किसी सांविधिक उपबंध के अनुसरण में उपस्थित किया गया है अथवा सामान्य लोकहित के किसी मामले पर ही उपस्थित किया गया है।

प्रस्तावों से संबंधित सामान्य नियम

सामान्य नियम यह है कि सभापति की सहमति से किए गए प्रस्ताव के बिना सामान्य लोकहित के विषय पर कोई चर्चा नहीं हो सकती।[10] प्रस्ताव की सूचना सदन के महासचिव को संबोधित करके लिखित में दिया जाना अपेक्षित है।[11] कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके, इसके लिये उसमें सारवान रूप से एक निश्चित मुद्दा उठाया जाना चाहिये; उसमें तर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोप अथवा मानहानिकारक कथन नहीं होने चाहिए, उसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण अथवा चरित्र का उल्लेख नहीं होना चाहिए, वह हाल ही में हुए किसी मामले तक सीमित रहना चाहिए, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये, उसमें ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं चलाई जानी चाहिए जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो, उसमें ऐसे विषय की चर्चा का पूर्वानुमान नहीं किया जाना चाहिए जिस पर उसी सत्र में चर्चा होने की संभावना हो और वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होना चाहिये जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्यायनिर्णयाधीन हो। उसमें उस पत्र अथवा दस्तावेज के संबंध में चर्चा की मांग न की गई हो जिसे किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा सभा पटल पर रखा गया हो; वह सामान्यतः ऐसे मामलों से संबंधित नहीं होने चाहिए जो किसी संसदीय समिति के विचाराधीन हों; उसमें अभिमत की अभिव्यक्ति अथवा गूढ़ विधिक प्रश्न का हल अथवा कल्पित वाक्य की मांग न की गई हो; वह ऐसे किसी विषय से संबंधित नहीं होना चाहिए जो मुख्यतः भारत सरकार की चिंता का विषय न हो; वह ऐसे किसी विषय से संबंधित नहीं होना चाहिए जिससे आधिकारिक रूप से मंत्री संबंधित न हो; उसमें किसी मित्र देश का अनादरात्मक रूप से उल्लेख न किया गया हो; वह ऐसे किसी विषय से संबंधित न हो अथवा ऐसी सूचना न मांगी गई हो जो गोपनीय प्रकृति की हो, यथा मंत्रि-मंडल की चर्चाएं अथवा किसी ऐसे विषय, जिसके संबंध में संवैधानिक, सांविधिक अथवा परंपरागत रूप से सूचना प्रकट न किया जाना बाध्यकारी हो, पर राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श; वह किसी तुच्छ विषय से संबंधित न हो।[12]

> एक सदस्य ने, जिसे 4 मार्च, 1980 को उपस्थित किए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों हेतु बैलट में तीसरा स्थान मिला था, नौ राज्य विधान सभाओं को भंग करने के संबंध में दो संकल्प दिये थे। सभापति ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था क्योंकि उनमें उन उद्घोषणाओं की स्वीकृति के संकल्पों, जिन्हें सरकार की तरफ से उसी सत्र में सभा पटल पर रखा जाना था, का पूर्वानुमान लगा लिया था। सभापति ने नियम 169 (vii) के आधार पर यह निर्णय दिया था।[13]

सभापति किसी प्रस्ताव की ग्राह्यता का निर्णय करता है और वह तब किसी प्रस्ताव अथवा उसके किसी भाग को अस्वीकार कर सकता है जबकि वह, उसकी राय में, इन नियमों का पालन न करता हो।[14]

नियम सामान्य लोकहित के विषय पर चर्चा का प्रश्न उठाने के लिये किसी विशेष प्रकार के प्रस्ताव को विहित नहीं करते। तथापि, प्रयोग में लाया गया सामान्य तरीका यह है: ''यह सदन स्थिति पर विचार करे, इत्यादि'' अथवा ''स्थिति अथवा प्रतिवेदन पर विचार किया जाये, इत्यादि।''

अनियत दिन वाले प्रस्ताव

यदि सभापति किसी प्रस्ताव की सूचना स्वीकार करता है लेकिन इस पर चर्चा के लिये कोई तिथि निश्चित न की गई हो, तो उसे समाचार (बुलेटिन) में ''अनियत दिन वाले प्रस्ताव'' शीर्षक से अधिसूचित किया जाता है।[15] यदि किसी गैर-सरकारी सदस्य का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है और तत्पश्चात् उसी विषय पर सरकारी प्रस्ताव प्राप्त होता है तो सरकारी प्रस्ताव भी स्वीकृत हो जाता है। यदि उस विषय पर प्रस्ताव द्वारा चर्चा करने का निर्णय हो जाता है तो सरकारी प्रस्ताव को गैर-सरकारी सदस्य के प्रस्ताव से वरीयता मिलती है क्योंकि अनियत दिन वाले प्रस्तावों पर चर्चा सरकार के लिये आवंटित समय में होती है।

> विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन के संबंध में एक गैर-सरकारी सदस्य का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था और उसे अनियत दिन वाले प्रस्ताव के रूप में अधिसूचित किया गया था।[16] इसके बाद उसी विषय पर एक सरकारी प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया था। तथापि, चर्चा केवल सरकारी प्रस्ताव पर ही हुई थी क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री ने घोषित कार्यों के कार्यक्रम में सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा का ही उल्लेख किया गया था।''[17]

> रेल दुर्घटना के संबंध में एक गैर-सरकारी सदस्य का प्रस्ताव अनियत दिन वाले प्रस्ताव के रूप में स्वीकृत किया गया था।[18] इसके बाद उसी विषय पर एक सरकारी प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया था और उसे अधिसूचित किया गया था।[19] जब कार्य-सूची में केवल सरकारी प्रस्ताव को ही सम्मिलित किया गया तो एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था। उपसभाध्यक्ष ने निर्णय दिया था कि जब सरकारी कार्य के लिये नियत दिन को किसी सदस्य और सरकार से दो प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो सरकारी प्रस्ताव को वरीयता मिलेगी।[20]

तथापि, कई बार दोनों प्रस्तावों को, अर्थात् एक ही विषय पर एक प्रस्ताव की सूचना गैर-सरकारी सदस्य द्वारा और दूसरे की मंत्री द्वारा दी जाती है, एक साथ ही सूचीबद्ध किया जा सकता है और चर्चा की जा सकती है।

> एक सदस्य ने निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना दी थी:
>
> > ''कि यह सदन राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए।''
>
> तत्पश्चात् गृह मंत्री ने भी निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना दी:
>
> > ''कि यह सदन पश्चिमी बंगाल में स्थिति के संबंध में सरकार की तरफ से 30 नवम्बर, 1967 को राज्य सभा में दिये गए वक्तव्य का अनुमोदन करता है।''
>
> दोनों ही प्रस्तावों को एक साथ ही स्वीकृत किया गया था और चर्चा की गई थी। गैर-सरकारी सदस्य के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया और सरकारी प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया था।[21]

प्रत्येक सत्र में कुछ प्रस्तावों को स्वीकृत किया जाता है और उन्हें 'अनियत दिन वाले प्रस्ताव' शीर्षक के अंतर्गत संसदीय समाचार (बुलेटिन) में प्रकाशित किया जाता है। उदाहरण के लिये 127वें सत्र (1983) के दौरान एक रिकॉर्ड संख्या में 240 अनियत दिन वाले प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे जिनमें देश में लोकहित के विभिन्न मामलों पर विविध प्रकार के विचार प्रतिबिम्बित किए गए थे और ध्यान केन्द्रित किया गया था। एक अवसर पर एक प्रस्ताव (भेल-साइमन्ज एग्रीमेंट के संबंध में) निन्यानवे सदस्यों के नाम से स्वीकृत हुआ था।[22]

नियमों के अनुसार सभापीठ सदन में कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद और सदन के नेता के परामर्श से ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिये कोई एक दिन या एक से अधिक दिन या किसी दिन का कोई भाग नियत कर सकता है। तथापि, प्रथा के अनुसार कार्य मंत्रणा समिति प्रस्तावों का चयन करती है

और चर्चा के लिये समय आवंटित करने की सिफारिश करती है। कार्यावलि में स्वीकृत प्रस्ताव संबंधी मद को उन सभी सदस्यों के नामों के समक्ष दर्शाया जाता है जिनसे सूचनाएं प्राप्त होती हैं।

प्रस्ताव पर चर्चा

सभापीठ द्वारा बुलाए जाने पर वह सदस्य, जिसके नाम से कार्यावलि में प्रस्ताव दर्ज है, यदि यह घोषणा नहीं करता है कि वह प्रस्ताव उपस्थित नहीं करना चाहता तो वह औपचारिक रूप से प्रस्ताव उपस्थित करता है और भाषण देता है।

संकल्पों के मामले की तरह, दूसरे सदस्य को उस सदस्य की ओर से, जिसके नाम से प्रस्ताव कार्यावलि में दर्ज है, प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये प्राधिकृत करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। यदि प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये सदस्य अनुपस्थित है तो दूसरे या तीसरे सदस्य अथवा आगे वाले सदस्य को, यदि कोई हो, जिसके नाम के आगे कार्यावलि में प्रस्ताव दर्ज हो, प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए बुलाया जाता है।

जहां पर दो प्रस्तावों का विषय एक समान हो तो दोनों पर एक साथ चर्चा की जा सकती है।

> दो प्रस्ताव—एक देश में सी॰आई॰ए॰ की गतिविधियों के संबंध में और दूसरा बढ़ती हुई जासूसी गतिविधियों के संदर्भ में देश की आंतरिक सुरक्षा के संबंध में—दो सदस्यों द्वारा अलग-अलग उपस्थित किए गए थे परंतु उन पर चर्चा एक साथ ही हुई थी।[23]

> दो प्रस्ताव—एक कच्छ के रण के संबंध में भारत-पाकिस्तान पश्चिमी सीमा अधिकरण के पंचाट को अस्वीकृत करने वाले और दूसरा पंचाट पर विचार करने के लिये जो दो सदस्यों के नामों के आगे दर्ज थे—अलग-अलग उपस्थित किए गए थे परंतु उन पर चर्चा एक साथ ही हुई थी।[24]

> एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स कॉर्पोरेशन्स के वार्षिक प्रतिवेदनों के संबंध में एक ही सदस्य द्वारा एक साथ उपस्थित किए गए दो प्रस्तावों पर एक ही बैठक में संयुक्त चर्चा हुई थी।[25]

सामान्यतया एक सदस्य केवल एक ही प्रस्ताव उपस्थित करता है, परंतु पहले के वर्षों में कुछ विरले अवसर ही हुए हैं जब एक ही सदस्य ने एक ही बैठक में दो प्रस्ताव उपस्थित किये हों।

> 21 दिसम्बर, 1956 को एक सदस्य ने भारतीय विदेश सेवा (शाखा-बी) नियमावली के संबंध में एक प्रस्ताव उपस्थित किया था। चर्चा समाप्त होने के बाद उसने उसी बैठक में औद्योगिक वित्त निगम के 8वें प्रतिवेदन के संबंध में दूसरा प्रस्ताव उपस्थित किया था।[26]

> 30 अगस्त, 1957 को एक सदस्य ने हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी प्रा॰ लिमिटेड के प्रतिवेदन के संबंध में एक प्रस्ताव उपस्थित किया था। तत्पश्चात्, उसने उसी बैठक में अशोक होटल्स लिमिटेड के प्रतिवेदन के संबंध में दूसरा प्रस्ताव भी उपस्थित किया था।[27]

सदस्य द्वारा प्रस्ताव उपस्थित किए जाने के बाद सभापति प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखता है। फिर यदि कोई संशोधन हों तो उन्हें सदस्यों द्वारा उपस्थित किया जाता है और इसके बाद चर्चा होती है। सदस्यों और संबंधित मंत्री द्वारा वाद-विवाद में भाग लेने के बाद प्रस्ताव का प्रस्तावक उत्तर देने के रूप में पुनः बोल सकता है। संशोधनों पर, यदि कोई हैं तो, सदन का मत लिया जाता है और उनका निपटान होने के बाद मुख्य प्रस्ताव पर मत लिया जा सकता है। सामान्यतया, जैसाकि ऊपर कहा गया है, किसी प्रतिवेदन अथवा मामले पर विचार करने के लिये प्रस्ताव पर सदन का मत नहीं लिया जाता।

प्रस्ताव को सदस्य द्वारा उपस्थित किए गए रूप में स्वीकार किया जा सकता है अथवा संशोधन के साथ स्वीकार किया जा सकता है अथवा अस्वीकार किया जा सकता है। इसे सदन की अनुमति से वापस भी

लिया जा सकता है अथवा इस पर विचार-विमर्श भी किया जा सकता है, अर्थात, सदन के किसी निर्णय को अभिलिखित किये बिना चर्चा के साथ समाप्त किया जा सकता है अथवा इस पर चर्चा अनिर्णायक रह सकती है। यदि सदन औपचारिक रूप से सहमत न हो अथवा उस प्रस्ताव पर वाद-विवाद को अगले सत्र में ले जाने पर सर्वसम्मति न हो तो अन्त में संभावित रूप से यह प्रस्ताव व्यपगत हो जाता है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के सत्रहवें और अठारहवें प्रतिवेदनों पर 5 और 7 सितम्बर, 1970 (73वां सत्र) को चर्चा हुई थी; सदन चर्चा को अगले सत्र में ले जाने को सहमत था और उपसभापति ने 7 सितम्बर, 1970 को इस आशय की घोषणा की थी। इन प्रतिवेदनों पर 9 और 12 नवम्बर, 1970 (74वां सत्र) को आगे चर्चा हुई थी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर कतिपय सदस्यों के आचरण की निंदा के संबंध में एक प्रस्ताव पर चर्चा को इस आशय के लिये स्वीकृत किए गए एक प्रस्ताव द्वारा अगले सत्र के लिए स्थगित किया गया था।[28]

प्रस्ताव की पुनरावृत्ति और इसे वापस लिया जाना

प्रस्तावों के संबंध में सामान्य नियम यह है कि प्रस्ताव से ऐसा प्रश्न नहीं उठना चाहिये जो उस प्रश्न से पर्याप्त रूप से मिलता-जुलता हो जिस पर सदन ने उसी सत्र में पहले ही निर्णय दे दिया हो।[29] तथापि, यदि सभा की इच्छा ऐसे मिलते-जुलते प्रश्न को उठाने की हो, जिस पर उसी सत्र में चर्चा की गई थी तो नियम को आस्थगित कर दिया जाएगा।

राज्य सभा ने 28 मार्च, 1990 को संविधान (चौंसठवां संशोधन) विधेयक पारित किया था। यह विधेयक लोक सभा में पारित नहीं किया जा सका। उसी विषय पर दूसरा विधेयक संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक, 1990 (पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाये जाने के लिये) पुर:स्थापित किया गया था और इसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। इससे पहले कि यह विधेयक विचारण के लिये राज्य सभा में लाया जाता, संबंधित मंत्री ने इस उद्देश्य हेतु नियम 228 को आस्थगित करने के लिये प्रस्ताव उपस्थित कर दिया।[30] प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया।

जिस सदस्य ने प्रस्ताव उपस्थित किया है वह इस प्रस्ताव को केवल सदन की अनुमति से ही वापस ले सकता है।[31] यह अनुमति प्रश्न के लिये ही महत्त्वपूर्ण नहीं है बल्कि सभापति द्वारा सदन की राय जानने के लिये भी महत्त्वपूर्ण है। यदि कोई असहमति का स्वर सुनाई देता है अथवा कोई सदस्य वाद-विवाद को जारी रखने के लिये उठता है तो सभापति तत्काल ही वास्तविक प्रस्ताव को रख देता है। यदि प्रस्ताव में किसी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है तो वास्तविक प्रस्ताव को तब तक वापस नहीं लिया जा सकता जब तक कि संशोधन का निपटान नहीं किया जाता है[32] अथवा इसे सदन की अनुमति से वापस नहीं लिया जाता है।

जब एक सदस्य प्रस्ताव के संशोधन को वापस लेना चाहता था तो सभापीठ ने पूछा था कि क्या सदस्य ने इसे वापस लेने के लिये सभा की अनुमति ली है। कुछ सदस्यों ने नकारात्मक उत्तर दिया था। तत्पश्चात् संशोधन पर मत लिया गया था और वह अस्वीकृत हुआ था।[33]

विलम्बकारी प्रस्ताव

प्रस्ताव किये जाने के पश्चात् किसी भी समय सदस्य इस आशय का प्रस्ताव कर सकता है कि प्रस्ताव पर वाद-विवाद को स्थगित कर दिया जाए। यदि सभापति की यह राय है कि वाद-विवाद को स्थगित करने

का प्रस्ताव सदन के नियमों का दुरुपयोग है तो वह या तो उसके संबंध में सभापीठ से तत्काल प्रश्न पूछ सकता है अथवा प्रश्न का प्रस्ताव अस्वीकार कर सकता है।[34]

> विलम्बकारी प्रस्ताव उन प्रस्तावों का एक जातीय नाम है जिसका उद्देश्य किए जा रहे कार्य के आगे विचारण को वर्तमान समय के लिये स्थगित करना है। यदि सभापति यह समझता है कि विलम्बकारी प्रस्ताव सदन के नियमों का दुरुपयोग है तो वह या तो प्रस्ताव को स्वीकार करने से इंकार कर सकता है अथवा इसे स्वीकार कर सकता है और इसके संबंध में तत्काल ही, अर्थात्, इस पर वाद-विवाद कराए जाने की अनुमति दिये बिना, इसके संबंध में प्रश्न पूछ सकता है।[35]

> किसी विलम्बकारी प्रस्ताव का अभिप्राय वाद-विवाद को स्थगित करना अथवा उसमें अनिश्चित विलम्ब करना है। यदि इस प्रस्ताव को उपस्थित किया जाता है और लाया जाता है, तो चर्चा के अधीन विषय को या तो छोड़ दिया जाता है अथवा वाद-विवाद को स्थगित कर दिया जाता है। विलम्बकारी प्रस्ताव एक अधिक्रमण करने वाला प्रस्ताव है क्योंकि यदि इसे सभापीठ द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वह एक नए प्रश्न के रूप में प्रस्ताव उपस्थित करता है जो वास्तविक प्रश्न का स्थान लेता है और इसे वास्तविक प्रश्न पर वाद-विवाद शुरू करने से पहले ही निपटाया जाना चाहिये।[36]

> उपरोक्त नियम में और कुछ अन्य नियमों में भी प्रयुक्त 'सदन के नियमों का दुरुपयोग' शब्द के, संबंध में यह शब्द प्रस्ताव उपस्थित करने के अपने अधिकार का अनुचित उद्देश्य के लिये सदस्य द्वारा प्रयोग (अर्थात्, कार्य संचालन में बाधा डालने अथवा अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के लिये अरुचिकर विचारों की अभिव्यक्ति करने से रोकना अथवा जिनको वे अभिव्यक्त नहीं करना चाहते) शब्द के रूप से परिभाषित किया जाए। किसी सदस्य के लिये जो भाषण बन्द करने का प्रस्ताव उपस्थित करके अपने भाषण को समाप्त करने के लिये किसी प्रश्न पर बोलता रहा है, संभवतया सदन के नियमों का दुरुपयोग समझा जाएगा।[37]

संशोधन

संशोधन एक गौण प्रस्ताव है जो दूसरे प्रस्ताव के ऊपर वाद-विवाद के बीच में उपस्थित किया जाता है, जो मुख्य प्रस्ताव और प्रश्न के संबंध में प्रस्ताव और निर्णय के मध्य वाद-विवाद और निर्णय का एक नया आवर्तन सन्निविष्ट करता है। संशोधन का उद्देश्य या तो सदन के समक्ष प्रश्न की ग्राह्यता में वृद्धि करने की दृष्टि से प्रश्न को संशोधित करना है अथवा सदन में वास्तविक प्रश्न के विकल्प के रूप में एक भिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करना है।[38]

संशोधन उस प्रस्ताव से सम्बद्ध होना चाहिये और उस विषय-क्षेत्र के भीतर होना चाहिये जिसके लिये उसे उपस्थित किया गया है।[39] वह संशोधन, जो मात्र एक नकारात्मक मत का प्रभाव रखता है, ग्राह्य नहीं है।[40] किसी प्रश्न के संबंध में कोई संशोधन उसी प्रश्न पर पूर्व में लिये गए निर्णय का परस्पर विरोधी नहीं होना चाहिये।[41]

संशोधन सामान्यतया प्रस्ताव के रूप में या तो प्रस्ताव में कतिपय शब्दों को अन्त:स्थापित करने के लिये अथवा कतिपय शब्दों को हटाने के लिये अथवा मूल प्रस्ताव में शब्दों के लिये कतिपय शब्द प्रतिस्थापित करने के लिये उपस्थित किया जाता है।

प्रस्ताव में संशोधन की सूचना उस दिन, जिस दिन प्रस्ताव पर विचार किया जाना है, से कम से कम एक दिन पहले दी जाए, जब तक कि सभापति ऐसी सूचना के बिना संशोधन उपस्थित करने की अनुमति न दे।[42]

सभापति किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तुत करने से इन्कार कर सकता है जो उसकी राय में नियमों का उल्लंघन करता हो।[43] सभापति को उपस्थित किये जाने वाले संशोधनों का चयन करने का भी अधिकार है और यदि वह उपयुक्त समझे तो उस सदस्य को, जिसने संशोधन की सूचना दी है, संशोधन का उद्देश्य स्पष्ट करने के लिये बुला सकता है जिससे वह इस पर सुगमता से निर्णय दे सके।[44]

प्रस्ताव की विषय-वस्तु

लोक महत्त्व का कोई भी मामला किसी प्रस्ताव की विषय-वस्तु हो सकता है। गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा राज्य सभा में उपस्थित किए गए कुछ विशिष्ट प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

भारतीय जीवन बीमा निगम संबंधी समिति के निष्कर्षों के संबंध में सरकारी संकल्प;[45] राज्य सरकारों के कुछ मुख्य मंत्रियों और अन्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोप;[46] पश्चिमी बंगाल में गैर-कानूनी घोष मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी की सिफारिश (प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ);[47] दिल्ली में पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश के दो मंत्रियों के विरुद्ध बल प्रयोग (प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ);[48] गुट-निरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों का दिल्ली में आयोजित सातवां सम्मेलन (प्रस्ताव स्वीकृत हुआ);[49] उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री की सहायता करने के लिये उनके पुत्र को नियोजित किये जाने का औचित्य (प्रस्ताव सदन में उपस्थित नहीं किया गया);[50] पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के उस राज्य में संयुक्त मोर्चा सरकार को बर्खास्त करने की असंवैधानिक कार्यवाही की निंदा (प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ);[51] राज्य सभा में 27 अगस्त, 1974 को तारांकित प्रश्न संख्या 730 और इस पर अनुपूरक प्रश्नों तथा इसके संबंध में राज्य सभा में उसी दिन वाणिज्य मंत्री के वक्तव्य से उत्पन्न सभी मामलों की जांच के लिये एक संसदीय समिति का गठन (पांडिचेरी लाइसेंस मामला) (प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ);[52] 3 नवम्बर, 1962 को संविधान के अनुच्छेद 359 के खंड(1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए किसी न्यायालय में जाने के लगातार निलम्बन से उत्पन्न स्थिति;[53] मक्खन सिंह तरसिक्का **बनाम** पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भारत रक्षा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत व्यक्तियों को लगातार रोके रखना;[54] 23 मार्च, 1970 को गुजरात में भूकम्प के कारण जान और माल की हानि पर सदन की चिन्ता की अभिव्यक्ति करना और क्षेत्र के शोक संतप्त और प्रभावित व्यक्तियों के साथ इसकी सहानुभूति (प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, सभी सदस्य खड़े हुए);[55] प्रधान मंत्री और भूतपूर्व गृह मंत्री के परिवारों के सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए दो अलग-अलग जांच आयोगों की नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव (प्रस्ताव स्वीकृत हुआ);[56] प्रधान मंत्री द्वारा केन्द्रीय मंत्रिमंडल के तीन मंत्रियों, अर्थात् श्री लाल कृष्ण आडवाणी, डा॰ मुरली मनोहर जोशी और सुश्री उमा भारती जिनके विरुद्ध सी बी आई ने जांच पूरी कर ली है तथा आरोप-पत्र दाखिल कर दिया है, को क्लीन चिट दिए जाने संबंधी प्रधान मंत्री के कथित वक्तव्य पर असहमति के संबंध में प्रस्ताव (प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)।[57]

10 अगस्त, 1978 को स्वीकृत हुए प्रस्ताव की प्रगति

उपरोक्त सूची में उल्लिखित प्रस्ताव से अत्यधिक दिलचस्पी और विवाद उत्पन्न हुआ था जिसका विस्तृत उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है। एक सदस्य द्वारा सूचना दिए गए प्रस्ताव को जिसमें जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत दो अलग-अलग आयोगों की नियुक्ति करने की सिफारिश की गई थी–पहला आयोग प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए और दूसरा आयोग भूतपूर्व गृह मंत्री, श्री चरण सिंह के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए–स्वीकृत किया गया था और संसदीय समाचार में ''अनियत दिन वाले प्रस्ताव'' शीर्षक के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था।[58]

कार्य मंत्रणा समिति ने एक दिन आवंटित किया और इस पर चर्चा के लिए 10 अगस्त, 1978 का दिन नियत किया था।[59] तद्नुसार, प्रस्ताव को उस दिन चर्चा के लिए लिया गया। इससे पहले कि प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होती इसकी ग्राह्यता के बारे में इन आधारों पर व्यवस्था के प्रश्न उठाए गए कि यह नियम 169(i), (iii), (iv) और (vi) तथा जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 का भी उल्लंघन करता है, चूंकि उस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सभा को आयोग की नियुक्ति के लिए सरकार से सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए यह प्रस्ताव एक व्यर्थ का कार्य होगा।[60]

व्यवस्था के प्रश्नों को उपसभापति द्वारा यह निर्णय देते हुए खारिज कर दिया गया था कि (1) प्रस्ताव के मुख्य भाग में एक निश्चित मामले को पर्याप्त रूप से उठाया गया है, (2) प्रस्ताव उपस्थित करने में नियम 169 के उपबंध का पर्याप्त रूप से अनुपालन किया गया है और (3) क्या प्रस्ताव जांच आयोग अधिनियम का उल्लंघन करता है अथवा नहीं, यह बात प्रस्ताव स्वीकृत करते समय सभापति के समक्ष विचाराधीन नहीं थी और किसी भी मामले में जहां तक प्रस्ताव की चर्चा का संबंध है, वाद-विवाद बहुत अधिक संगत नहीं है जहां तक प्रस्ताव के बारे में वाद-विवाद निरर्थक होने के बारे में तर्क दिए जाने का संबंध है, उपसभापति ने यह टिप्पणी की ''.....सीमित प्रश्न....यह है कि क्या इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया जाए और क्या इसे समुचित रूप से ग्राह्य किया गया है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या यह व्यर्थ होगा अथवा नहीं यह पुन: एक ऐसी बात है जिससे हमारा इस अवस्था में कोई संबंध नहीं है...इसलिए, हमारे नियमों के उपबंधों और बहस को देखते हुए जिसे मैंने सुना है और सबसे अधिक पूर्वोदाहरणों को देखते हुए, जिनमें यह बताया गया है कि इसी प्रकार के प्रस्ताव इस सदन में स्वीकार किए गए हैं, मेरा कहना है कि इसे समुचित रूप से स्वीकार किया गया है।''[61]

3 अगस्त, 1978 को सभापति ने उपरोक्त प्रस्ताव की ग्राह्यता के संबंध में सदस्यों द्वारा किए गए प्रश्नों को निपटाते समय दो पूर्वोदाहरण दिए थे जिनका उल्लेख ऊपर किया गया था। 27 अप्रैल, 1963 को जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों के प्रशासन की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने के संबंध में एक गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प पर चर्चा हुई और यह अस्वीकार हुआ था। वर्ष 1961 में एक पूर्व अवसर पर भी समाचार पत्र उद्योग ने स्वामित्व के एकाधिकार के प्रश्न की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत एक जांच आयोग नियुक्त करने के संबंध में एक गैर-सरकारी सदस्य द्वारा दी गई सूचना वाले प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था इसे दो अवसरों पर बैलट में स्थान मिला था।

पांच सदस्यों द्वारा प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। श्री भूपेश गुप्त द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन पर सदन में मत लिया गया और मत-विभाजन द्वारा वह स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् यथा संशोधित प्रस्ताव 10 अगस्त, 1978 को मध्याह्न पश्चात् 10.00 बजे निम्नलिखित संशोधित रूप में स्वीकृत किया गया:

कि भूतपूर्व गृह मंत्री, श्री चरण सिंह द्वारा प्रधान मंत्री के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों और प्रधान मंत्री द्वारा भूतपूर्व गृह मंत्री के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध लगाये गये प्रत्यारोपों, जिनके कारण देश में भारी क्षोभ उत्पन्न हुआ है, से संबंधित प्रधान मंत्री और भूतपूर्व गृह मंत्री, श्री चरण सिंह के बीच हुए पत्र-व्यवहार सहित सभी प्रकार के पत्र-व्यवहार और अन्य दस्तावेज प्रधान मंत्री द्वारा सदन में रखे जाने से इंकार किए जाने पर खेद और अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस सभा की यह राय है कि यदि इस स्थिति से समुचित रूप से और अपेक्षित तात्कालिकतापूर्वक नहीं निपटा जाता है तो इससे न केवल सार्वजनिक जीवन में लब्ध-प्रतिष्ठ व्यक्तियों की परिहार्य बदनामी होने की संभावना है, बल्कि उससे देश में सार्वजनिक जीवन की विश्वसनीयता की अपूरणीय क्षति भी होगी अत: यह सभा सरकार से इन आरोपों पर समुचित और आवश्यक कार्यवाही करने हेतु इस सदन की एक समिति, जिसमें पन्द्रह सदस्य होंगे, जिसकी नियुक्ति राज्य सभा के सभापति द्वारा की जाएगी, से तत्काल दिशा-निर्देश एवं सलाह प्राप्त करे या वैकल्पिक तौर पर जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बिना किसी विलंब के तुरंत दो पृथक्-पृथक् जांच आयोगों की, उन्हें व्यापक जांच करने और उसके संबंध में शीघ्रतापूर्वक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए, नियुक्त करे, एक प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए और दूसरा भूतपूर्व गृह मंत्री, श्री चरण सिंह के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए।[62]

एक दिन पूर्व स्वीकृत संकल्प के बारे में सभा के नेता (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) द्वारा समाचार-पत्र में की गयी कुछ टिप्पणियों के संदर्भ में अगले दिन प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने से उत्पन्न मामला उठाया

गया।[63] 17 अगस्त, 1978 को सभापति ने सदन में निम्नलिखित घोषणा की:

> सदन ने 10 अगस्त, 1978 को हुई अपनी बैठक में प्रधान मंत्री और भूतपूर्व गृह मंत्री, श्री चरण सिंह के परिवारों के सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कतिपय आरोपों की जांच करने हेतु इस सदन की एक समिति गठित करने या जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत दो पृथक जांच आयोग गठित करने के संबंध में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया। उक्त प्रस्ताव में सरकार से निम्नलिखित सिफारिश की गई है:
>
> (1) आरोपों के विरुद्ध समुचित और आवश्यक कार्यवाही करने हेतु राज्य सभा के सभापति द्वारा नियुक्त की जाने वाली राज्य सभा के पन्द्रह सदस्यों की समिति से तत्काल दिशा-निर्देश और सलाह प्राप्त करे, या
>
> (2) इस मामले में जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत तुरन्त दो पृथक जांच आयोग गठित करे।
>
> अत: सरकार के समक्ष दो विकल्प हैं अर्थात् या तो सरकार राज्य सभा के सदस्यों की समिति से दिशा-निर्देश और सलाह प्राप्त करे या तत्काल दो पृथक जांच आयोग गठित करे।
>
> यह मामला कल भी सदन में उठाया गया था। मेरा मत यह है कि प्रस्ताव के अनुरूप मेरे द्वारा समिति नियुक्त किए जाने का प्रश्न सरकार के उस संकेत पर निर्भर करेगा कि उसे प्रस्ताव में उल्लिखित दो विकल्पों में से कौन-सा विकल्प स्वीकार्य है। सरकार की राय जाने बिना इस समय समिति नियुक्त करने का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए, मैं सभा के नेता से अनुरोध करता हूं कि मुझे यह बताएं कि सरकार इस मामले में कौन-सी प्रक्रिया अपनाने का विचार रखती है।[64]

21 अगस्त, 1978 को सदन द्वारा किए गए प्रस्ताव के विभिन्न निहितार्थों के बारे में एक बार फिर यह मामला उठाया गया। उपसभापति ने सदन से इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया की घोषणा करने तक प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया।[65] प्रधान मंत्री ने 24 अगस्त, 1978 को इस प्रस्ताव के संबंध में सदन में निम्नलिखित वक्तव्य दिया:

> इस सभा द्वारा 10 अगस्त, 1978 को जो संकल्प स्वीकृत किया था सरकार ने उस पर सावधानीपूर्वक और गंभीरता से विचार किया है। इस संकल्प का संबंध कथित भ्रष्टाचार के कतिपय आरोपों से है और इसमें सरकार से मांग की गयी है कि वह या तो आरोपों के विरुद्ध समुचित और आवश्यक कार्यवाही करने हेतु राज्य सभा के सभापति द्वारा नियुक्त की जाने वाली राज्य सभा की पन्द्रह सदस्यीय समिति से तत्काल दिशा-निर्देश एवं सलाह प्राप्त करे अथवा जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत तत्काल दो पृथक जांच आयोग गठित करे।
>
> सरकार सदन के किसी भी संकल्प का अत्यधिक सम्मान करेगी लेकिन संकल्प का स्वरूप अनिवार्यत: अनुशंसात्मक होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संकल्प में भ्रष्टाचार के किन्हीं विशिष्ट उदाहरणों का उल्लेख नहीं किया गया है, सरकार जांच आयोग गठित करने को न्यायसंगत नहीं मानती है क्योंकि जांच आयोग का गठन सिर्फ लोक-महत्त्व के किसी निश्चित मामले की जांच के लिए किया जा सकता है।
>
> इसी कारण से सरकार संकल्प में सुझायी गयी वैकल्पिक कार्यवाही अर्थात् सभापति द्वारा नियुक्त की जाने वाली समिति से दिशा-निर्देश एवं सलाह प्राप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार करना उचित नहीं समझती है।
>
> तथापि, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरी सरकार प्रशासन में पवित्रता के उच्चतम मानदंड बनाए रखने के लिए किसी भी दबाव के सम्मुख नहीं झुकेगी तथा भ्रष्टाचार के किसी आरोप को टिका नहीं रहने देगी जिससे उसकी छवि धूमिल होती हो। अत: इस संकल्प में निहित दोनों सिफारिशों में से किसी भी सिफारिश को स्वीकृत करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए भी यदि कोई माननीय सदस्य संकल्प के संदर्भ में जबसे मेरी सरकार सत्ता में आई है तबसे भ्रष्टाचार के किन्हीं विशिष्ट आरोपों के संबंध में लिखकर दे तो सरकार उनकी जांच कराए जाने के लिए उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित करने का विचार रखती है।[66]

उपरोक्त वक्तव्य के बारे में सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए। तत्पश्चात्, सभापति ने इस मामले में

अपना सुविचारित मत प्रकट करने का वचन दिया। 29 अगस्त, 1978 को सभापति ने निम्नलिखित घोषणा की:

> मैंने यह कहा था कि सदन द्वारा 10 अगस्त, 1978 को स्वीकार किये गये प्रस्ताव में सरकार से, **अन्य बातों के साथ-साथ,** सभापति द्वारा नियुक्त की जाने वाली समिति से दिशा-निर्देश और सलाह प्राप्त करने की सिफारिश की गई थी। मैंने यह भी कहा था कि मेरे द्वारा किसी समिति की नियुक्ति इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार को प्रस्ताव में उल्लिखित दो विकल्पों में से कौन-सा विकल्प स्वीकार्य है। प्रधान मंत्री ने तद्नुसार 24 अगस्त, 1978 को सदन में एक वक्तव्य दिया।
>
> मैंने इस विषय पर प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य और सदस्यों द्वारा सदन में प्रकट किये गये विभिन्न विचारों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। प्रधान मंत्री के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि सरकार ने प्रस्ताव में उल्लिखित दोनों विकल्पों में से किसी को भी स्वीकार नहीं किया है। 10 अगस्त के प्रस्ताव को पढ़कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मेरे द्वारा समिति का गठन सरकार द्वारा उक्त समिति से सलाह एवं दिशा-निर्देश प्राप्त करने की इच्छा प्रदर्शित किये जाने पर निर्भर करता है और सरकार ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया है। प्रस्ताव में यह भी नहीं कहा गया है कि सरकार द्वारा प्रस्ताव में उल्लिखित दोनों विकल्पों में से किसी को स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में भी मेरे द्वारा समिति नियुक्त की जानी चाहिए। इसलिये, मेरी राय में इन परिस्थितियों में उक्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे ऐसी किसी समिति की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।[67]

उक्त घोषणा के सबंध में सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। उसी दौरान, एक सदस्य ने एक ऐसा प्रस्ताव भी पढ़ा, जिसकी कि वह सूचना दे चुका था, जिसमें यह कहा गया कि सरकार भ्रष्टाचार, आदि के सभी आरोपों की जांच-पड़ताल हेतु उन्हें तत्काल उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित करे और उक्त जांच-पड़ताल के निष्कर्षों के बारे में सदन को सूचित करे। बाद में, सदस्यों से[68] जिसमें वह सदस्य भी शामिल था, जिसने 29 अगस्त, 1978 को सदन में अपना प्रस्ताव पढ़ा था,[69] (1) इस मामले में एक संसदीय समिति नियुक्त करने और (2) भारत के मुख्य न्यायाधीश को आरोप प्रेषित करने हेतु कई 'अनियत दिन वाले प्रस्ताव' प्राप्त हुए थे। एक सदस्य से, जिसे लॉटरी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था, प्राप्त एक गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प को भी स्वीकृत किया गया था और उसे 23 फरवरी, 1979 को चर्चा के लिए अधिसूचित किया गया था।[70] 23 फरवरी, 1979 को गृह मंत्री (श्री एच॰ एम॰ पटेल) ने 10 अगस्त, 1978 को सदन द्वारा स्वीकृत किये गये प्रस्ताव पर हुई बहस को इस बात की जांच करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित करने के सरकार के निर्णय के संबंध में सदन में एक वक्तव्य दिया कि क्या बहस में उल्लिखित और मार्च, 1977 की अवधि के बाद प्रधान मंत्री और भूतपूर्व गृह मंत्री के परिवारों के सदस्यों के विरुद्ध किन्हीं आरोपों के संबंध में **प्रथम दृष्ट्या** कोई मामला बनता है ताकि जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत औपचारिक जांच कराने की बात को न्यायोचित ठहराया जा सके।[71] 26 और 27 फरवरी, 1979 को सदस्यों ने सरकार के निर्णय पर अपने विचार प्रकट किये।[72]

4 फरवरी, 1980 को कुछ सदस्यों को अखबारों में प्रकाशित उस समाचार के बारे में जिसमें यह कहा गया था कि न्यायमूर्ति वैद्यलिंगम ने (जिन्हें यह मामला सौंपा गया था) अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है और उसमें भूतपूर्व प्रधान मंत्री और भूतपूर्व गृह मंत्री के परिवारों के सदस्यों को अभ्यारोपित किया गया है, विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी गयी थी। कुछ सदस्यों द्वारा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखे जाने की मांग की गई थी।[73]

5 फरवरी, 1980 को, संसदीय कार्य और संचार मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) ने विशेष न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सी॰ ए॰ वैद्यलिंगम के प्रतिवेदन (25 जनवरी, 1980) में अन्तर्विष्ट निष्कर्षों और सिफारिशों के सारांश की एक प्रति सदन के पटल पर रखी[74] और यह मामला वहीं समाप्त हो गया।

गुजरात में हिंसा की अवस्थिति के संबंध में प्रस्ताव

24 अप्रैल, 2002 को, सभापति ने सभा में निम्नलिखित घोषणा की:

> माननीय सदस्य, डा॰ मनमोहन सिंह और अन्य सदस्यों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मैंने निम्नलिखित प्रस्ताव को राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के नियम 170 के अधीन गृहीत कर लिया है:
>
> > यह सभा गुजरात में छह सप्ताह से अधिक से चली आ रही हिंसा की अवस्थिति पर अपना गहन क्षोभ प्रकट करती है जिसकी वजह से काफी लोग मारे गए हैं, करोड़ों रुपयों की संपत्ति का नुकसान हुआ है और केंद्र सरकार से आग्रह करती है कि वह नागरिकों का जीवन और संपत्ति बचाने के लिए तथा हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास हेतु संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत प्रभावी हस्तक्षेप करे।
>
> चर्चा बृहस्पतिवार, 2 मई 2002 को होगी।

2 मई, 2002 को श्री अर्जुन सिंह ने प्रस्ताव उपस्थित किया, जिस पर 3 मई, 2002 और 6 मई, 2002 को भी चर्चा जारी रही। 6 मई, 2002 को प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। तत्पश्चात्, सभापति ने सभा में निम्नलिखित टिप्पणी की:

> मैं राज्य सभा के माननीय सदस्यों को गुजरात संबंधी प्रस्ताव को एकमत से स्वीकार करने पर बधाई देता हूं। विपक्ष और सरकार द्वारा सहमत यह प्रस्ताव हमारे लोकतंत्र की समायोजन, समंजन और प्रतिस्कंदन की भावना का परिचायक है।
>
> मुझे पूरी आशा है कि यह आम राय हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों के विश्वास को दृढ़ करने में सहायक होगी।
>
> राज्य सभा के कक्ष से उठी यह एक आवाज देशभर में गूंजेगी और राज्य के ऊपर मंडराते काले और घने बादलों को दूर हटाएगी। आशा है कि इससे गुजरात के लोगों के लिए स्थायी शांति का युग लाने में सहायता मिलेगी।

23 जुलाई 2002 को, श्री प्रणव मुखर्जी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत गुजरात राज्य में हस्तक्षेप हेतु राज्य सभा द्वारा नियम 170 के अधीन स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसरण में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में अल्पकालिक चर्चा आरंभ की।

सरकारी प्रस्ताव

गैर-सरकारी सदस्यों की भांति, मंत्री भी सार्वजनिक हित से संबंधित मामलों पर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। सामान्य तौर पर ये प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनों, उदाहरणार्थ संघ लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अथवा किसी अन्य आयोग के प्रतिवेदनों पर विचार करने के उद्देश्य से या मूल्य स्थिति जैसे मामलों या अन्य किसी मामले या किसी पत्र पर चर्चा करने के उद्देश्य के लिये होते हैं। इनके अलावा, कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण सरकारी प्रस्ताव लाये गये हैं जिन पर राज्य सभा में चर्चा की गई है। उदाहरणार्थ:

> राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन;[75] भारत और चीन के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई बातचीत समाप्त होने के बाद जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति;[76] भारत-चीन सम्बन्धों के बारे में कोलम्बो प्रस्ताव;[77] गुजरात-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा से संबंधित भारत-पाकिस्तान समझौता;[78] दल-बदल संबंधी समिति का प्रतिवेदन;[79] पंजाब पर श्वेत पत्र;[80] आठवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन;[81] दक्षिण अफ़्रीका की स्थिति;[82] केन्द्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग का प्रतिवेदन;[83] भारत और सोवियत संघ गणराज्य के बीच शांति, मित्रता और सहयोग की संधि;[84] अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण;[85] पंचवर्षीय योजना (1978-83) का प्रारूप;[86] छठी पंचवर्षीय योजना; सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण (एप्रोच);[87] आर्थिक स्थिति;[88] ठक्कर आयोग प्रतिवेदन;[89] और राष्ट्रीय बाल नीति;[90] इत्यादि।

प्रस्ताव में संशोधन भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं और सरकारी प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकृत किये जा सकते हैं। तथापि, सामान्यतया प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के तत्काल बाद ही संशोधन प्रस्तुत किये जाने चाहिये न कि चर्चा शुरू होने के बाद।

संघ लोक सेवा आयोग के बाईसवें प्रतिवेदन पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के बाद, सभापीठ ने घोषणा की कि एक सदस्य ने तीस संशोधन प्रस्तुत करने का नोटिस दिया था किन्तु चूंकि वह सदस्य उपस्थित नहीं था इसलिये उपरोक्त संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सके। भोजनावकाश के बाद वह सदस्य सदन में आया और सभापीठ से यह अनुरोध किया कि यद्यपि वह चरण गुजर चुका है फिर भी अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों, जिनके कारण वह अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिये उपयुक्त समय पर सभा में उपस्थित नहीं हो सका, को ध्यान में रखते हुए उसे अपने संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये। उपसभापति ने यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि सदन को कोई आपत्ति नहीं है, उक्त सदस्य को अपने संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी और साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि यह एक पूर्वोदाहरण नहीं बनना चाहिए।[91]

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए प्रस्तुत किये गये एक सरकारी प्रस्ताव के मामले में कई संशोधन प्रस्तुत करने के नोटिस दिये गये थे। सभापति ने यह विनिर्णय दिया, ''इस चरण में किन्हीं निर्णयों पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ चर्चा है। इसलिये सभी संशोधन असंगत हैं।''[92]

कई अवसरों पर, कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयों/पत्रों पर सरकारी प्रस्तावों के आधार पर चर्चा की गई है और अन्त में सरकारी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है। उदाहरणस्वरूप, निम्नलिखित विषयों पर सरकारी प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं:

जम्मू और कश्मीर की स्थिति (प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत);[93] प्रैस आयोग का प्रतिवेदन;[94] निवारक नजरबंदी अधिनियम 1950 का कार्यकरण;[95] देश में खाद्यान्न की स्थिति;[96] भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यों के संबंध में जांच आयोग का प्रतिवेदन;[97] श्वेत पत्र संख्या II और बाद में भारत और चीन की सरकारों के बीच हुए पत्र-व्यवहार;[98] केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल;[99] असम की स्थिति;[100] तीसरी पंचवर्षीय योजना;[101] भारत-चीन सीमा की स्थिति;[102] कच्छ सीमा पर पाकिस्तान का आक्रमण;[103] भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों के बारे में समझौता;[104] ताशकन्द घोषणा;[105] महिलाओं की दशा पर समिति का प्रतिवेदन;[106] कश्मीर पर वक्तव्य;[107] अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति[108] (नौ वर्ष बीत जाने के बाद प्रस्ताव स्वीकृत किया गया) इत्यादि।

परिनियत प्रस्ताव

संविधान या संसद् के किसी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सदन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों को 'परिनियत प्रस्ताव' कहा जाता है। मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य में से कोई भी इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना दे सकता है।

मंत्रियों द्वारा बारंबार प्रस्तुत किये जाने वाले विशिष्ट परिनियत प्रस्ताव सदन के सदस्यों का विभिन्न परिनियत निकायों के लिये चयन किये जाने से संबंधित होते हैं।

संसद् के अधिनियमों जिनके द्वारा केन्द्रीय सरकार को नियम आदि बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है, में ये प्रावधान भी होते हैं कि संसद् निर्धारित अवधि के अन्दर इन नियमों में उपांतर कर सकती है या उन्हें निष्प्रभावी कर सकती है। उस प्रावधान के अनुरूप सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं और उस प्रयोजन के लिये सरकार के लिये नियत समय में से समय प्रदान किया जाता है। सदन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव

को बाध्यकारी बनाने के लिये जैसाकि संविधि के नियम निर्धारण संबंधी खण्ड में निर्दिष्ट है, उस पर दूसरे सदन की सहमति होना भी आवश्यक है।

> सरकार ने विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) नियम, 1955 में लोक सभा द्वारा किये गये उपांतरों पर सहमति प्रकट करते हुए राज्य सभा में चौदह प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। प्रत्येक उपांतरित नियम के लिये पृथक् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत हुआ।[109]

> 120वें सत्र (1981) के दौरान, परिनियत नियमों और आदेशों में उपांतर करने के लिये गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा दी गई दस प्रस्तावों की सूचनाओं को स्वीकार किया गया जिनमें से सात पर चर्चा हुई, यद्यपि उनमें से कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ।[110]

अल्पकालिक चर्चा

राज्य सभा में 1964 तक अविलम्बनीय महत्त्व के मामले पर अल्पकालिक चर्चा के संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 118 के खण्ड (1) के अन्तर्गत प्रक्रिया संबंधी नियम बनाने की सिफारिश करने के लिये गठित की गई समिति ने निम्नलिखित टिप्पणियां की थीं:

> इन नियमों पर विचार करते हुए समिति ने कुछ सदस्यों की इस भावना पर गौर किया कि ''पत्रों संबंधी प्रस्ताव'' से संबंधित प्रक्रिया इतनी कठिन है कि व्यवहार में इस प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी भी सूचना को स्वीकार करवाना कठिन होता है।''अनियत दिन वाले प्रस्ताव ''संबंधी प्रक्रिया भी सदस्यों को अल्प-सूचना पर अविलंबनीय लोक महत्त्व के मामलों पर चर्चा कराने की मांग करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं करती है। इसलिये, समिति ने यह सिफारिश की है कि राज्य सभा के नियमों में ऐसे प्रावधान किये जाने चाहिए जिससे सदस्य अविलंबनीय लोक महत्त्व के मामलों पर ध्यानाकर्षण की सूचना देने तथा अविलंबनीय लोक महत्त्व के मामलों पर अल्पकालिक चर्चा कराने की मांग करने में सक्षम हो सकें।[111]

> अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय पर चर्चा उठाने के इच्छुक सदस्य को लिखित सूचना देनी पड़ती है जिसमें उसे उठाये जाने वाले विषय का स्पष्टत: तथा यथार्थत: उल्लेख करना पड़ता है। सूचना के साथ सम्बन्धित विषय पर चर्चा उठाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक टिप्पण संलग्न करना भी आवश्यक होता है और सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षरों से होना चाहिए।[112]

यदि सभापीठ इस बात से संतुष्ट है कि उठाया जाने वाला इच्छित विषय अविलम्बनीय और सदन में जल्दी ही किसी तिथि को उठाये जाने के लिए पर्याप्त लोक महत्त्व का है, तो सूचना स्वीकृत कर ली जाती है। यदि अन्य रूप से उसी मामले पर चर्चा करने के लिये पहले ही कोई अवसर उपलब्ध हो तो सभापीठ द्वारा सूचना को अस्वीकृत किया जा सकता है।[113]

अल्पकालिक चर्चा की सूचनाओं को स्वीकृत कर लिये जाने के बाद उन्हें संसदीय समाचार में अधिसूचित किया जाता है। सामान्य तौर पर कार्य मंत्रणा समिति ही चर्चा के लिये समय आवंटित करती है। सूचना स्वीकृत हो जाने तथा चर्चा के लिये तिथि निश्चित हो जाने के बाद सूचना देने वाले सभी सदस्यों जिनमें सूचना का समर्थन करने वाले सदस्य भी शामिल होते हैं, के नाम से वह मद उस तिथि की कार्यावलि में शामिल की जाती है।

कार्यावलि में जिस सदस्य के नाम से अल्पकालिक चर्चा हो, यदि वह अनुपस्थित हो या नाम पुकारे जाने पर वह चर्चा नहीं उठाये, तो उसमें दर्ज उससे अगले सदस्य का नाम उस चर्चा को उठाने के लिए पुकारा जाता है और इसी तरह से यह क्रम जारी रहता है।

> नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बोफोर्स संबंधी प्रतिवेदन पर अल्पकालिक चर्चा छह सदस्यों के नाम पर सूचीबद्ध थी। पहले पांच सदस्यों ने चर्चा नहीं उठायी तो फिर छठे सदस्य ने चर्चा उठायी।[114]

सदन के समक्ष न तो औपचारिक प्रस्ताव होता है और न मतदान होता है। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य देकर चर्चा उठाता है। तत्पश्चात्, अन्य सदस्यों को चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जाती है और अन्त में सम्बद्ध मंत्री एक संक्षिप्त उत्तर देता है। चर्चा उठाने वाले सदस्य को उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं होता है।[115]

सभापति, यदि वह ठीक समझे, तो भाषणों के लिए समय-सीमा विहित कर सकता है।[116] सभापति चर्चा के लिए उतने समय की अनुमति दे सकेगा जितनी वह उन परिस्थितियों में उचित समझेगा और जो अढाई घंटे से अधिक न होगी।[117] तथापि, चर्चा के विषय के महत्त्व को देखते हुए अढाई घंटे की समय-सीमा बढ़ाई भी जा सकती है, जैसाकि कई बार हुआ है, और कई अवसरों पर तो समय की अवधि इतनी अधिक हो जाती है कि 'अल्पकालिक चर्चा' शीर्षक अयथार्थ[118] लगने लगता है, क्योंकि उसकी परिणति 'दीर्घकालिक चर्चा' के रूप में हो जाती है। ऐसी कई अल्पकालिक चर्चाएं हुई हैं, जो चार घंटे से भी अधिक समय तक चली हैं।[119]

ऐसे भी अवसर हुए हैं जब एक ही दिन की बैठक के लिये दो से अधिक अल्पकालिक चर्चाएं सूचीबद्ध की गईं और उन पर चर्चाएं हुईं।[120] ऐसे भी उदाहरण हैं जब किसी पूर्व बैठक में उठाए गए विषय पर चर्चा की समाप्ति के बाद दूसरी 'अल्पकालिक चर्चा' हुई हो।[121]

अनियत दिन वाले प्रस्ताव और अल्पकालिक चर्चा—अंतर

'अनियत दिन वाले प्रस्ताव' और 'अल्पकालिक चर्चा', दोनों के बीच स्पष्ट अन्तर है। पहला सामान्य लोकहित के विषय में उठाये जाने वाला प्रस्ताव है जबकि दूसरा 'अविलम्बनीय लोक महत्त्व' के मामले को उठाये जाने से संबंधित है। प्रस्ताव के मामले में, सभा पटल पर संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले को उत्तर प्राप्त करने का अधिकार है और प्रस्ताव पर सदन में मत प्राप्त किया जा सकता है; जबकि अल्पकालिक चर्चा के मामले में सदन के समक्ष न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होता है और न ही कोई मत प्राप्त किया जाता है; संबंधित सदस्य द्वारा चर्चा उठायी जाती है और संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिया जाता है।

राज्य सभा के प्रारंभिक वर्षों में यह प्रथा थी कि जब भी अल्पकालिक चर्चा के लिए कोई सूचना प्राप्त होती थी, उसे पहले 'अनियत दिन वाले प्रस्ताव' के रूप में गृहीत किया जाता था। उसके बाद, उसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखा जाता था। कार्य मंत्रणा समिति द्वारा यह सिफारिश किये जाने पर ही कि उस विशेष मामले पर चर्चा करने के लिये समय आवंटित किया जाना चाहिए तभी अल्पकालिक चर्चा की सूचना प्राप्त की जाती थी और उसे संसदीय समाचार भाग-2 में 'अल्पकालिक चर्चा' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया जाता था।

> शाह आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए प्रस्तावों और अल्पकालिक चर्चा की सूचनाएं गृहीत की गईं थीं और संसदीय समाचार में 'अनियत दिन वाले प्रस्ताव' शीर्षक के अन्तर्गत अधिसूचित की गईं थीं। कार्य मंत्रणा समिति ने यह सिफारिश की थी कि प्रतिवेदन पर चर्चा नियम 176 के अधीन की जानी चाहिए और तद्नुसार उस प्रस्ताव को उस नियम के अधीन चर्चा के लिये सूचीबद्ध किया गया था। कई सदस्यों ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति प्रकट की थी। उपसभापति ने विस्तार से स्थिति स्पष्ट करते हुए सदन में यह कहा था:
>
> > बहुत लम्बे समय से नियम 176 के अधीन सूचना देने वाले सदस्यों के नाम, नियम 170 एवं 171 के अधीन 'अनियत दिन वाले प्रस्ताव' के रूप में पहले से गृहीत प्रस्तावों की सूचनाओं के साथ जोड़े जाते रहे हैं। नियम 170 के अधीन ऐसा कोई प्रस्ताव न होने पर भी अल्पकालिक चर्चा की सूचनाओं को पहले 'अनियत दिन वाले प्रस्ताव' के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता था और फिर यह निर्णय ले लिये जाने के बाद कि विषय के नियम 176 के अधीन अल्पकालिक चर्चा के रूप में ले लिया जाये, तभी अल्पकालिक चर्चा के रूप में सूचना प्राप्त की जाती थी। इस प्रक्रिया के पीछे यही मंशा प्रतीत

> होती थी कि किसी विशेष विषय पर प्राप्त किये गये प्रस्तावों के बारे में सभी सदस्य अवगत हो सकें ... विगत में भी, जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं, इस प्रक्रिया को अपनाया जाता रहा था और कभी भी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। इसलिये, मेरे विचार में इस मामले में कोई अनियमितता नहीं की गई है।[122]

उपरोक्त प्रक्रिया को अब समाप्त कर दिया गया है। फिर भी, कभी-कभी इस संबंध में मामला महत्त्वपूर्ण और विवादास्पद हो जाता है कि किसी मामले पर चर्चा नियम 167 के अधीन प्रस्ताव के रूप में करायी जाये या नियम 176 के अधीन अल्पकालिक चर्चा के रूप में करायी जाये। राज्य सभा में सरकार के विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया नहीं है। गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प के अतिरिक्त, नियम 167 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना ही एकमात्र प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सदन अपनी राय दर्ज करा सकता है और सदस्य ऐसे प्रस्ताव के संबंध में संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं जिन पर सभा में मत लिया जाये और स्वीकृत कर लिये जायें। (जैसाकि 10 अगस्त, 1978 के प्रस्ताव के मामले में हुआ था और 18 दिसंबर, 2000 को उपस्थित किया गया प्रस्ताव जिसे 19 दिसंबर, 2000 को स्वीकार किया गया था।) जबकि, नियम 167 के अधीन प्रक्रिया अपनाने के विपक्ष के अपने कारण हो सकते हैं, (सरकार को उलझन में डालना या उसकी आलोचना करना) सरकार इसे प्रतिकूल मत मान सकती है। अत: इस प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है। इस संबंध में हाल के दो दृष्टांत उद्धृत किये जा सकते हैं।

> बोफोर्स मामले संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर अल्पकालिक चर्चा शुरू होने से पूर्व एक सदस्य द्वारा प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये अपनायी गयी प्रक्रिया के बारे में औचित्य का प्रश्न उठाया गया था। उस सदस्य ने अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रतिवाद किया कि यदि सरकार अल्पकालिक चर्चा के स्थान पर एक पूर्ण प्रस्ताव लेकर आती, तो सदस्य उस संबंध में संशोधन प्रस्तुत कर सकते थे। उपसभापति ने यह विनिर्णय दिया कि सामान्यतया इस प्रकार के प्रतिवेदनों पर चर्चा नहीं की जाती है। फिर भी विषय-वस्तु के महत्त्व को देखते हुए अपवाद के रूप में इस पर चर्चा की जा रही है; और इस पर प्रस्ताव के रूप में चर्चा करने की अपेक्षा अल्पकालिक चर्चा के माध्यम से चर्चा करवाना अधिक उपयुक्त समझा गया।[123]

> हवाला प्रकरण के मामले में भी यह विवाद उठा था कि सदन इस पर किस रूप में चर्चा करे। कुछ विपक्षी सदस्यों ने इस पर नियम 167 (प्रस्ताव) के अधीन चर्चा कराने की मांग की; जबकि सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर नियम 176 (अल्पकालिक चर्चा) के अधीन चर्चा करना चाहते थे। उस मामले पर नियम 167 के अधीन चर्चा हो या 176 के अधीन, इस बारे में सदस्य यथास्थिति इसके पक्ष और विपक्ष में चर्चा करने के बारे में अपने-अपने विचार प्रकट करते रहे। एक प्रकार का गतिरोध बना रहा और अन्तत: उस मुद्दे पर चर्चा किये बिना सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।[124]

महत्त्वपूर्ण मामलों के संबंध में अल्पकालिक चर्चा

विवाद उत्पन्न होने के बावजूद भी, महत्त्वपूर्ण मामलों पर अल्पकालिक चर्चा के माध्यम से चर्चा कराने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कुछ निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर इस प्रक्रिया के अधीन चर्चा की गई है:

> प्रिवी पर्स की समाप्ति;[125] मध्य प्रदेश विधान सभा का अनिर्धारित सत्रावसान;[126] राज्यपाल की भूमिका, शक्तियां, कार्य और उनकी नियुक्ति की पद्धति;[127] सरकार द्वारा राजभाषा नीति का कार्यान्वयन;[128] भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध-विराम संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का संकल्प;[129] ब्रिटिश आप्रवासन नियम;[130] पंजाब में विशेषकर पंजाब विधान सभा की घटनाओं के संदर्भ में संवैधानिक घटनायें;[131] राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश विधान सभा का सत्रावसान किये जाने के संबंध में संवैधानिक स्थिति;[132] सत्र के दौरान पश्चिमी बंगाल विधान सभा में पुलिस का प्रवेश;[133] मंत्रालयों के गठन में राज्यपाल की भूमिका (उत्तर प्रदेश और बिहार के संदर्भ में) और उसके संवैधानिक निहितार्थ;[134] मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किये जाने के बाद हरियाणा विधान सभा के सत्रावसान किए जाने के संवैधानिक निहितार्थ;[135] राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनाव में धन के प्रयोग का आरोप और संसदीय लोकतंत्र के

कार्यकरण और संरक्षण के संबंध में इसके निहितार्थ;[136] उत्तर प्रदेश में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने में वहां के राज्यपाल की भूमिका;[137] सदन में विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक के दौरान एक सदस्य द्वारा कलकत्ता की एक कंपनी के विरुद्ध कंपनी कानून का उल्लंघन करके पोस्टरों के मुद्रण के संबंध में आरोप लगाया जाना;[138] एक मुख्य मंत्री पर भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप के संबंध में राष्ट्रपति को दिये गये ज्ञापन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही;[139] उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की वरीयता का अधिक्रमण और उनके त्यागपत्र;[140] 18 मई, 1974 को राजस्थान के पोखरन क्षेत्र में भूमि के अंदर किया गया परमाणु विस्फोट;[141] पांडिचेरी आयात अनुज्ञप्ति मामला;[142] नौ राज्यों के संबंध में उद्घोषणा;[143] गंगा-जल के बँटवारे के संबंध में भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता;[144] न्यायमूर्ति शाह जांच आयोग के प्रतिवेदन;[145] औद्योगिक नीति;[146] जमशेदपुर दंगों के संबंध में जांच आयोग का प्रतिवेदन;[147] देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार;[148] कुओ-तेल सौदा;[149] पिछड़ा वर्ग आयोग का दूसरा प्रतिवेदन;[150] मंडल आयोग प्रतिवेदन का लागू नहीं किया जाना;[151] पशु-चर्बी का आयात;[152] आंध्र प्रदेश में हुई घटनाओं के परिणामस्वरूप वहां की सरकार में परिवर्तन;[153] देश में काली अर्थव्यवस्था के पहलू;[154] इंडियन एक्सप्रैस भवन के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय;[155] कुछ राज्य सरकारों और न्यायपालिका के विरुद्ध कुछ केन्द्रीय मंत्रियों के कथित वक्तव्य;[156] देश में पर्यावरण की सुरक्षा;[157] चुनाव सुधार;[158] बोफोर्स तोप सौदा;[159] सती होने की घटनाएं;[160] फेयरफैक्स के संबंध में जे॰ जे॰ ठक्कर-नटराजन आयोग का प्रतिवेदन;[161] एच॰डी॰डब्ल्यू॰ पनडुब्बी सौदा;[162] बोफोर्स संबंधी संयुक्त संसदीय समिति का प्रतिवेदन;[163] बोफोर्स के संबंध में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन;[164] मंडलआयोग प्रतिवेदन को लागू करने का सरकार का निर्णय;[165] भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी की अपर्याप्त सुरक्षा;[166] बोफोर्स सौदे संबंधी जांच में प्रगति;[167] विद्युत रेल इंजनों की खरीद हेतु ए बी बी को संविदा दिया जाना;[168] रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे का गिराया जाना;[169] श्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में वर्मा आयोग का प्रतिवेदन;[170] प्रतिभूति घोटाला[171] और उस पर संयुक्त संसदीय समिति का प्रतिवेदन;[172] 'गैट' पर देश द्वारा अंतिम रूप से निर्णय लिया जाना;[173] चीनी का आयात;[174] चरार-ए-शरीफ की स्थिति (औपचारिक रूप से उपस्थित न किये गये प्रस्ताव पर प्रधान मंत्री का उत्तर);[175] वोहरा समिति के प्रतिवेदन के संदर्भ में अपराधियों और राजनीतिज्ञों के बीच सांठ-गांठ;[176] जम्मू और कश्मीर की स्थिति;[177] बीमा क्षेत्र में निजी भारतीय और विदेशी फर्मों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव;[178] विश्व व्यापार संगठन का कार्यकरण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में भारत की भागीदारी;[179] वित्त मंत्री के भूतपूर्व सलाहकार द्वारा उठाए गए मुद्दे और इससे उत्पन्न कथित अनुपयुक्तताएं;[180] सरकार की विनिवेश नीति;[181] राष्ट्रीय दूरभाष नीति 1999;[182] राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने के गुजरात सरकार के कर्मचारियों पर प्रतिबंध को समाप्त करने वाले परिपत्र को वापस लिए जाने पर गुजरात सरकार को सहमत करने में भारत सरकार की धर्म-निरपेक्षता जोकि भारत के संविधान के बुनियादी सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है, की रक्षा करने में अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफलता;[183] बिहार में हाल ही की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्यों में सरकारों के गठन में राज्यपालों की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में भूमिका;[184] भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत गुजरात राज्य में हस्तक्षेप हेतु राज्य सभा द्वारा नियम 170 के अधीन स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसरण में सरकार द्वारा उठाए गए कदम;[185] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश;[186] राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत रूप में दसवीं पंचवर्षीय योजना;[187] बाबरी मस्जिद ध्वंस मामले में सीबीआई की भूमिका;[188] और देश में हजारों करोड़ रुपये का जाली स्टांप पेपर घोटाला।[189]

टिप्पणियां और संदर्भ

1. अब्राहिम एण्ड हॉट्रे, ए पार्लियामेन्टरी डिक्शनरी, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ 122
2. नियम 246
3. नियम 247 और 248
4. अब्राहिम एंड हॉट्रे, पूर्वोक्त
5. नियम 7, 15 और 215
6. नियम 238(v)
7. अनुच्छेद क्रमश: 61, 121, 124(4) और (5), 148(1) और 324(5)
8. अनुच्छेद क्रमश: 67(ख) और 90(ग)

9. नियम 7(2) और 15
10. नियम 167
11. नियम 168
12. नियम 169(i) से (viii)
13. राज्य सभा वाद-विवाद, 13.3.1980, कालम 124–29
14. नियम 170
15. नियम 171
16. संसदीय समाचार (2), 19.2.1959
17. -वही- 21.2.1959; और संसदीय समाचार (1), 26.2.1959
18. संसदीय समाचार (2), 10.8.1962
19. -वही- 17.8.1962
20. राज्य सभा वाद-विवाद, 21.8.1962, कालम 2614–23
21. संसदीय समाचार (1), 4.12.1967
22. संसदीय समाचार (2), 26.2.1979
23. संसदीय समाचार (1), 12.12.1967 और 13.12.1967
24. -वही- 5.3.1968 और 6.3.1968
25. राज्य सभा वाद-विवाद, 3.9.1963, कालम 2633
26. -वही- 21.12.1956, कालम 3438 और 3451
27. संसदीय समाचार (1), 30.8.1957
28. राज्य सभा वाद-विवाद, 7.4.1971, कालम 209
29. नियम 228
30. संसदीय समाचार (1), 10.4.1990
31. नियम 229(1)
32. नियम 229(2); दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 1991 का निरनुमोदन चाहने वाले परिनियत संकल्प को वापस लिये जाने के संबंध में राज्य सभा वाद-विवाद, 5.8.1991, कालम 171–82 को भी **देखिए**
33. राज्य सभा वाद-विवाद, 31.5.1967, कालम 1604-05
34. नियम 230
35. अब्राहिम एंड हॉट्रे ,पूर्वोक्त, पृष्ठ 86
36. नॉर्मन वाइल्डिंग एंड फिलिप लॉण्डी, ऐन इनसाइक्लोपीडिया ऑफ पार्लियामेंट, पृष्ठ 147
37. अब्राहिम एंड हॉट्रे, पूर्वोक्त, पृष्ठ 2
38. मे, पृष्ठ 336
39. नियम 231(1)
40. नियम 231(2)
41. नियम 231(3)
42. नियम 232

43. नियम 233(1)
44. नियम 233(2)
45. संसदीय समाचार (1), 11.9.1959
46. -वही- 31.3.1965
47. -वही- 23.12.1967
48. -वही- 19.12.1967
49. -वही- 24.3.1983
50. -वही- 29.8.1968
51. -वही- 22.11.1967
52. -वही- 11.9.1974
53. -वही- 10.5.1963
54. -वही- 19.9.1963
55. -वही- 24.3.1970
56. -वही- 10.8.1978
57. -वही- (1), 19.12.2000
58. संसदीय समाचार (2), 31.7.1978
59. -वही- 4.8.1978
60. राज्य सभा वाद-विवाद, 10.8.1978, कालम 235–46
61. -वही- कालम 251-52; 3.8.1978, कालम 206–20 भी **देखिए**
62. संसदीय समाचार (1), 10.8.1978
63. राज्य सभा वाद-विवाद, 11.8.1978, कालम 130–44
64. -वही- 17.8.1978, कालम 163–207 और संसदीय समाचार (1), 17.8.1978
65. -वही- 21.8.1978, कालम 139–83
66. -वही- 24.8.1978, कालम 189–264 और 280–333
67. -वही- 29.8.1978, कालम 6–49
68. संसदीय समाचार (2), 22.11.1978, 13.12.1978, 14.12.1978, 13.1.1979 और 8.2.1979
69. -वही- 3.2.1979
70. -वही- 16.2.1979
71. राज्य सभा वाद-विवाद, 23.2.1979, कालम 227-28
72. -वही- 26.2.1979, कालम 174–211; 27.2.1979, कालम 125–32
73. -वही- 4.2.1980, कालम 32–64
74. -वही- 5.2.1980, कालम 1-2
75. संसदीय समाचार (1), 19.12.1955
76. -वही- 29.4.1960
77. -वही- 24.1.1963

78. संसदीय समाचार (1), 24.8.1965
79. -वही- 12.8.1969 और 13.8.1969
80. -वही- 24.7.1984 और 25.7.1984
81. -वही- 14.8.1984
82. संसदीय समाचार (1), 8.8.1986
83. -वही- 28.11.1988 और 30.11.1988
84. -वही- 14.8.1971
85. -वही- 3.12.1981
86. -वही- 10.5.1978, 9.9.1981 और 10.9.1981
87. -वही- 13.8.1984 और 17.8.1984
88. -वही- 2.12.1986, 3.12.1986 और 4.12.1986
89. -वही- 4.4.1989
90. -वही- 12.12.1974
91. राज्य सभा वाद-विवाद, 26.11.1973, कालम 131–37
92. -वही- 19.12.1955, कालम 3183
93. संसदीय समाचार (1), 5.8.1952
94. -वही- 14.9.1955
95. -वही- 31.5.1956
96. -वही- 18.12.1957
97. -वही- 21.2.1958
98. -वही- 9.12.1959
99. -वही- 23.8.1960
100. -वही- 9.9.1960
101. -वही- 31.8.1961
102. -वही- 22.8.1962
103. -वही- 3.5.1965
104. -वही- 3.8.1972
105. -वही- 22.2.1966
106. -वही- 13.5.1975
107. -वही- 13.3.1975
108. -वही- 17.12.1981
109. राज्य सभा वाद-विवाद, 15.9.1955, कालम 3208–3300
110. संसदीय समाचार (1), 24.9.1954, 30.9.1954, 10.12.1970 और 14.5.1986 को भी **देखिए**।
111. प्रक्रिया विषयक प्रारूप नियमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन (1963), पृष्ठ (vi)
112. नियम 176

113. नियम 177

114. राज्य सभा वाद-विवाद, 21.7.1989, कालम 236

115. नियम 178

116. नियम 179

117. नियम 117

118. कुछ अवसरों पर कार्यावलि से शीर्षक 'अल्पकालिक चर्चा' को हटा दिया गया। उदाहरणार्थ, (आतंकवाद और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद किये जाने के संबंध में) **देखिए**, कार्यावलि, 12.12.1991

119. उदाहरणार्थ, **देखिए** संसदीय समाचार (1), 11.11.1987; 12.11.1987; 13.11.1987; 16.11.1987; 17.11.1987; 18.11.1987; 19.11.1987; 14.12.1987; 28.4.1988; 29.4.1988; 11.5.1988; 12.5.1988; 2.8.1988; 3.8.1988; 4.8.1988; 15.11.1988; 16.11.1988; 21.7.1989; 25.7.1989; 27.7.1989; 7.8.1990; 8.8.1990; 1.10.1990; 5.10.1990; 22.2.1991; 25.2.1991; 4.6.1991; 12.12.1991; 16.12.1991; 17.12.1991; 19.12.1991; 2.4.1992; 18.12.1992; 21.12.1992; 9.7.1992; 29.12.1993; 30.12.1993; 9.3.1994; 15.3.1994; 8.8.1995; 9.8.1995; 23.8.1995; 24.8.1995; 29.11.1995; 4.12.1995; 17.7.1996; 3.12.1996; 5.12.1996; 6.3.1997; 10.3.1997; 28.7.1997; 29.7.1997; 30.7.1997; 5.8.1997; 6.8.1997; 28.5.1998; 29.5.1998, 15.7.1998; 7.12.1998; 8.12.1998; 13.3.1999; 15.3.1999; 30.11.1999; 28.2.2000; 1.3.2000; 2.3.2000; 25.4.2000; 26.4.2000; 27.7.2000; 31.7.2000; 1.8.2000; 27.11.2000; 28.11.2000; 24.7.2001; 25.7.2001; 30.7.2001; 31.7.2001; 1.8.2001; 2.8.2001; 8.8.2001; 9.8.2001; 10.8.2001; 16.8.2001; 17.8.2001; 20.8.2001; 27.8.2001; 28.8.2001; 22.11.2001; 26.11.2001; 27.11.2001; 4.12.2001; 5.12.2001; 10; 12; 2001; 7.3.2002; 11.3.2002; 18.7.2002; 23.7.2002; 24.7.2002; 31.7.2002; 1.8.2002; 21.11.2002; 22.11.2002; 4.12.2002; 23.7.2003 और 5.8.2003

120. उदाहरणार्थ, **देखिए**, राज्य सभा वाद-विवाद, 26.8.1995

121. उदाहरणार्थ, **देखिए** राज्य सभा वाद-विवाद, 11.11.1987 और 4.8.1988; 16.11.1988 और 19.12.1991

122. राज्य सभा वाद-विवाद, 13.12.1978, कालम 215–20

123. -वही- 11.5.1988, कालम 365–90

124. -वही- 11.3.1996 और 12.3.1996

125. संसदीय समाचार (1), 31.7.1967

126. -वही- 24.7.1967

127. -वही- 20.11.1967

128. -वही- 22.2.1965 और 23.2.1965

129. -वही- 24.9.1965

130. -वही- 29.2.1968

131. -वही- 20.3.1968

132. -वही- 13.3.1969

133. -वही- 5.8.1969

134. -वही- 24.2.1970

135. -वही- 5.3.1970

136. -वही- 28.7.1970

137. -वही- 24.11.1970

138. संसदीय समाचार (1), 1.6.1972
139. -वही- 30.3.1973
140. -वही- 3.5.1973
141. -वही- 21.8.1974
142. -वही- 4.12.1974
143. -वही- 14.6.1977
144. -वही- 28.11.1977
145. -वही- 23.5.1979
146. -वही- 15.12.1980
147. -वही- 18.9.1981
148. -वही- 6.5.1982
149. -वही- 29.7.1982
150. -वही- 13.10.1982
151. -वही- 26.8.1983
152. -वही- 16.11.1983
153. -वही- 21.8.1984
154. -वही- 14.8.1985
155. -वही- 28.11.1985
156. -वही- 29.7.1986
157. -वही- 7.11.1986
158. -वही- 4.12.1986
159. -वही- 20.4.1987; 21.4.1987; 2.8.1988; 3.8.1988; 4.8.1988; 15.11.1988; 16.11.1988 और 13.10.1989
160. -वही- 10.11.1987
161. -वही- 14.12.1987
162. -वही- 28.4.1988 और 29.4.1988
163. -वही- 11.5.1988 और 12.5.1988
164. -वही- 21.7.1989; 25.7.1989 और 27.7.1989
165. -वही- 1.10.1990 और 5.10.1990
166. -वही- 4.6.1991
167. -वही- 2.4.1992
168. -वही- 3.4.1992
169. -वही- 18.12.1992 और 21.12.1992
170. -वही- 14.5.1993
171. -वही- 9.7.1992

172. संसदीय समाचार (1), 29.12.1993 और 30.12.1993
173. -वही- 9.3.1994 और 15.3.1994
174. -वही- 24.8.1994 और 26.8.1994
175. -वही- 15.5.1995 और 16.5.1995
176. -वही- 8.8.1995; 23.8.1995 और 24.8.1995
177. -वही- 29.11.1995 और 4.12.1995
178. -वही- 11.12.1996
179. -वही- 27.7.1998
180. -वही- 13.3.1999 और 15.3.1999
181. -वही- 13.12.1999
182. -वही- 20.12.1999
183. -वही- 28.2.2000; 1.3.2000 और 2.3.2000
184. -वही- 13.3.2000
185. -वही- 23.7.2000 और 24.7.2002
186. -वही- 4.12.2002
187. -वही- 29.4.2003
188. -वही- 23.7.2003
189. -वही- 22.12.2003